कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

सामान्य प्रशासन विभाग

स्थाई आदेश क्रं0 07/2011

विषयः— कचरा प्रबंधन हेतु उपभोक्ता प्रभार लगाये जाने बावत्।

म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 क (1) (ग) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011—12 के लिए ठोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु प्रभार के निर्धारण बावत मेयर इन कौन्सिल के संकल्प क्रं0—10 दि0 22/03/2011 एवं निगम सम्मिलन संकल्प क्रं0 04 दि0 30/03/2011 दी गई स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2011—12 के लिए नगर पालिक निगम भोपाल में ठोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु उपभोक्ता प्रभार का अधिरोपण निम्नानुसार किया जाता है :—

1. नगर निगम द्वारा वार्ड क्रं.—52,53,54,55,56,58,59,60,61,62 एवं 63 मे घर—घर से कचरा उठाने की ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली लागू की है। इन वार्डों में निम्नानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु उपभोक्ता प्रभार लिया जायेगा।

सं. क्र.	संरचनाएँ	श्रेणी	प्रस्तावित उपभोक्ता प्रभार शुल्क (User charges)
1.	निजी आवासीय	—	30 रूपये प्रतिमाह
2.	दुकानें/अशासकीय कार्यालय	100 वर्ग फुट तक (मुख्य बाजार से हटकर)	30 रूपये प्रतिमाह
3.	दुकानें/	100 वर्ग फुट तक (मुख्य बाजार मे स्थित)	60 रूपये प्रतिमाह
4.	दुकानें	100 वर्ग फुट से अधिक	60 रूपये प्रतिमाह

जैसे—जैसे अन्य वार्डों अथवा क्षेत्रों में यह प्रणाली आरंभ की जावेगी वहां उपरोक्तानुसार निर्धारित उपभोक्ता प्रभार प्रभावशील होंगें।

2. संपूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु उपभोक्ता प्रभार प्रभावशील होगा।

(क)

1.	होटल,रेस्टोरेंट, शादी हाल, मैरिज गार्डन	5000 वर्ग फुट तक	500 रूपये प्रतिमाह
2.	होटल,रेस्टोरेंट, शादी हाल, मैरिज गार्डन	5000 वर्ग फुट से अधिक	1000 रूपये प्रतिमाह

(ख) शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं के आवासों एवं कार्यालयों के लिए निम्नानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु उपभोक्ता प्रभार प्रभावशील होगा।

सं. क्र.	आवास की श्रेणी	दर प्रतिवर्ष
1.	शासकीय आई एवं एच टाईप तथा समकक्ष आवास	250/-
2.	शासकीय जी एवं एफ टाईप तथा समकक्ष आवास	500/-
3.	शासकीय ई. एवं डी. टाईप तथा समकक्ष आवास	750/-
4.	बी एवं इसके ऊपर की श्रेणी टाईप तथा समकक्ष आवास	1000/-
5.	राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार के शासकीय कार्यालय एवं अन्य अशासकीय कार्यालय एवं सभी वित्तीय संस्थान (निर्मित क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट तक)	1000/-
6.	राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार के शासकीय कार्यालय एवं अन्य अशासकीय कार्यालय एवं सभी वित्तीय संस्थान (निर्मित क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट से 5000 वर्गफिट तक)	5000/-
7.	राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार के शासकीय कार्यालय एवं अन्य अशासकीय कार्यालय एवं सभी वित्तीय संस्थान(निर्मित क्षेत्रफल 5000 वर्गफिट से अधिक)	10000/-

(ग) जो भवन/भूमि म0प्र0 नगर पालिका 1956 की धारा 132–क की उपधारा (2) (एक) तथा धारा 136 (सी) एवं (के) की परिधि में आते हैं, उन पर निम्नानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु उपभोक्ता प्रभार प्रभावशील होगा।

स.क्र.	श्रेणी	उपभोक्ता प्रभार
1.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल का रू. 1 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष
2.	भूमि	कुल भूमि के क्षेत्रफल का रू. 0.50 प्रति वर्गफुट

- ऐसे क्षेत्र जिनमें घर–घर से कचरा एकत्रिकरण की प्रणाली लागू की गई है, उनकी निजी आवासीय इकाईयों से लिये जाने वाला ठोस अपशिष्ट प्रबंध उपभोक्ता प्रभार वार्ड में इस बावत पृथक से खोले गये विशिष्ट खाते में जमा होगा।
- शेष अन्य भवनों/भूमियों से लिए जाने वाला ठोस अपशिष्ट प्रबंध उपभोक्ता प्रभार वार्ड में जमा किया जायेगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंध उपभोक्ता प्रभार जमा किये जाने वाले स्थान–संबंधित क्षेत्र में स्थित वार्ड कार्यालय।

आयुक्त
नगर निगम, भोपाल

369-442

पृष्ठांकन क्रं0............/सा0प्र0वि0/2011 भोपाल दि006/05/2011

प्रतिलिपिः–

1. मान0 महापौर/अध्यक्ष महोदय की ओर निज सहा0 के माध्यम से सूचनार्थ।
2. मान0 नेता प्रतिपक्ष
3. प्रभारी राजस्व/बाजार/स्वास्थ्य सदस्य मेयर इन कौन्सिल
4. अपर आयुक्त 1 एवं 2
5. उप संचालक (वित्त)
6. सहा0 संचालक, आवासीय संपरीक्षा नगर निगम भोपाल
7. उपायुक्त (राजस्व/संपत्तिकर/स्वास्थ्य)
8. जनसंपर्क अधिकारी
9. समस्त विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी/प्रभारी जोन/जोनल अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
नगर निगम, भोपाल